न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2021

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट –**

1. परागाराम पुत्र समेलाराम
2. वगताराम पुत्र समेलाराम
3. निम्बाराम पुत्र जामताराम
4. अजाराम पुत्र जामताराम
5. हरियाराम पुत्र जामताराम
6. सवाईराम पुत्र बींजाराम
7. जोगाराम पुत्र बींजाराम
8. हरीराम पुत्र बींजाराम
9. गेनाराम पुत्र लच्छाराम
10. प्रहलादराम पुत्र लच्छाराम
11. लूणाराम पुत्र लच्छाराम
12. गेमराराम पुत्र लूणाराम
13. पोकराराम पुत्र लूणाराम
14. गोपाराम पुत्र लूणाराम
15. सगरामराम पुत्र लूणाराम
16. रावताराम पुत्र लूणाराम
17. गोरखाराम पुत्र लूणाराम
18. जमना पत्नी लूणाराम

जाति रबारी निवासी शिवपुरा तहसील चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 603 दिनांक 27.12.2004 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री बाँकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित
2. रेस्पोडेंट प्रफोर्मा पक्षकार।

Lov
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 04.10.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 603 दिनांक 27.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा शिवपुरा पटवार मण्डल ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 173—15 बीघा के खातेदारान विरधा, जामता, लच्छा, परागा, वगता पि0 समेला सवाई, जोगा, हरिया पि0 बींजा पावों बेवा बींजा कौम रबारी सा0 देह ने प्रार्थना—पत्र दिनांक 27.12.2004 को तहसीलदार चोहटन के समक्ष प्रशासन आपके द्वार अभियान केम्प सणाऊ में प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि का बाहमी बंटवाडा करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार चोहटन द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 603 दिनांक 27.12.2004 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील 28.01.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा शिवपुरा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवार मण्डल ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 173–15 बीघा के खातेदारान विरधा, जामता, लच्छा, परागा, वगता पि0 समेला सवाई, जोगा, हरिया पि0 बींजा पावों बेवा बींजा कौम रबारी सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.12.2004 को तहसीलदार चोहटन के समक्ष प्रशासन आपके द्वार अभियान केम्प सणाऊ में प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि का बाहमी बंटवाडा करने का निवेदन किया। तहसीलदार चौहटन द्वारा आदेश क्रमांक 603 दिनांक 27.12.2004 द्वारा इकरारनामा मय प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के निर्देश जारी किये। हल्का पटवारी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जे–काश्त के अनुसार नहीं किया गया तथा अपीलांट्स अनपढ़ होने से उन्हे कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलांट्स द्वारा हल्का पटवारी पर विश्वास कर विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शे पर अंगूठा निशान/हस्ताक्षर अंकित कर दिये गये। अर्सा कुछ समय पूर्व जब हल्का पटवारी से अपीलांट्स द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाई तो अपीलांट्स का मौके पर कब्जा–काश्त व नक्शे में तरमीम में भारी भिन्नता होना वर्तमान पटवारी द्वारा बताया गया। अपीलाधीन विभाजन अपीलांट्स के मध्य हुए बाहमी बंटवाड़े अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता होने से ढाणी, बाड़े आदि एक दूसरे के कब्जे में चले गये हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य हैं। अपीलांट्स द्वारा हल्का पटवारी की पैमाईश के पश्चात तहसील कार्यालय चौहटन से उक्त विभाजन प्रस्ताव की नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत किया किन्तु रेकर्ड में छानबीन करने के बावजूद भी विभाजन पत्रावली नहीं मिली, तथा तहसीलदार चौहटन द्वारा नकल दिया जाना संभव नहीं होना बताते हुए नकल प्रार्थना–पत्र फाईल कर दिया गया। इस प्रकार उक्त कथित विभाजन प्रस्ताव का ज्ञान होने पर यह अपील इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समक्ष दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. रेस्पोडेंट प्रफोर्मा पक्षकार होने से उसका जवाब आवश्यक नहीं है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि मौजा शिवपुरा पटवार मण्डल ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 173–15 बीघा के खातेदारान विरधा, जामता, लच्छा, परागा, वगता पि0 समेला सवाई, जोगा, हरिया पि0 बींजा पावों बेवा बींजा कौम रबारी सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.12.2004 को तहसीलदार चोहटन के समक्ष प्रशासन आपके द्वार अभियान केम्प सणाऊ में प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि का बाहमी बंटवाडा करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा आदेश क्रमांक 603 दिनांक 27.12.2004 पारित कर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत किया गया। अपीलांट्स का कथन हैं कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के संलग्न तैयार किया गया विभाजन नक्शा में अपीलांट्स के बाहमी बंटवाड़े के अनुसार तरमीम प्रस्तावित नहीं की गई। इस प्रकार गलत तरमीम प्रस्तावित कर दिये जाने से अपीलांट्स की ढाणियां, बाड़े इत्यादि एक दूसरे के कब्जे में चले गये हैं तथा मौके पर कब्जे एवं रेकर्ड की भिन्नता के फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हो गया हैं। यद्यपि अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अवलोकन नहीं किया जा सका हैं किन्तु जब समस्त पक्षकारान ने यह अपी[illegible] कर प्रकट किया हैं कि विभाजन नक्शा में की गई तरमीम [illegible] प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव एवं [illegible]मीम नक्शा को बहाल रखा जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलाधीन कार्यवाही से मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जा एवं रेकर्ड की भिन्नता होने से विभाजन प्रस्ताव दूषित होना प्रकट होता हैं तथा अपीलांट्स अनपढ़ ग्रामीण खातेदार होने से उन्हे इसकी जानकारी तत्समय नही होने का कथन विश्वास योग्य प्रतीत होता हैं, लिहाजा यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता हैं तथा पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे एवं रेकर्ड की भिन्नता के आधार पर अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2004 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः तहसीलदार चौहटन को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति अनुसार मौका कब्जा की जांच करते हुए नये सिरे से विभाजन की नियमानुसार कार्यवाही करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

8. निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested